न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 3342–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–9–14 पारित द्वारा तहसीलदार नजूल, बैरागढ़ वृत भोपाल प्रकरण कमांक 71/अ–6/13–14.

.....

1– मो. आफाक पुत्र मो. इस्लाम
2– सिराज पुत्र मो. जावेद
निवासी कोहेफिजा, भोपाल ..... आवेदकगण

विरूद्ध

स्व. खुजिस्ता बेगम तथा सर्वसाधारण
काजी सलाउद्दीन आत्मज स्व. काजी रफीकउद्दीन
निवासी मनसब मंजिल
करबला रोड रोपाल ..... अनावेदक

.....

श्री सैयद मुजद्दीन हसन, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 23 दिसम्बर 2014)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नजूल, बैरागढ़ वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार नजूल, बैरागढ़ वृत भोपाल द्वारा उनके समक्ष प्रचलित प्रकरण कमांक 71/अ–6/13–14 में दिनांक 19–8–14 को इस आशय की आदेशिका लिखी गई कि आवेदक पक्ष से अभिभाषक उपस्थित । लिखित तर्क, न्याय दृष्टांत व दस्तोज पेश किए गए । प्रकरण आदेश हेतु, और प्रकरण में आदेश के लिए दिनांक 30–8–14 नियत की गई । दिनांक 30–8–14 का आदेशिका

लिखी गई कि प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अभिभाषक उपस्थित । अवलोकन किया गया । प्रकरण आदेश हेतु तथा प्रकरण में दिनांक 10–9–14 की तिथि नियत की गई । इसी बीच दिनांक 6–9–14 को अनावेदक के द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत करने पर कि वे भूमिस्वामी के वारिस हैं, और उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः उन्हें पक्षकार बनाया जाये, तहसीलदार द्वारा प्रकरण लिया जाकर अनावेदक की आपत्ति पर प्रकरण जवाब हेतु नियत किया गया, और प्रकरण में दिनांक 10–9–14 की तिथि नियत की चाई । आवेदकगण की ओर से तहसीलदार के इसी आदेशिका दिनांक 6–9–14 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण के स्वत्व की भूमि है, और उक्त भूमि का डायसवर्सन भी आवेदकगण के पक्ष में हो गया है तथा नगर निगम से एन.ओ.सी. भी प्राप्त हो गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण दिनांक 10–9–14 को आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया था, अतः प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखने के उपरांत तहसीलदार किसी प्रकार का कोई आवेदन किसी व्यक्ति से नहीं ले सकते हैं, और न ही आवेदन पत्र पर प्रकरण में कोई कार्यवाही की जा सकती थी । अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखने के उपरांत अनावेदक के आवेदन पत्र पर जवाब हेतु प्रकरण नियत करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जाये । तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1954 (एस.सी.) 993, 1981 आर.एन. 1 एवं 1975 आर.एन. 380 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–8–14 को आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क, न्याय दृष्टांत व दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा जाकर आदेश हेतु

दिनांक 30–8–14 की तिथि नियत की गई । दिनांक 30–8–14 को आदेश पारित नहीं किए जाने के कारण प्रकरण में दिनांक 10–9–14 की तिथि नियत की गई । इस बीच तहसीलदार द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र पर दिनांक 6–9–14 को लिया जाकर प्रकरण अनावेदक की आपत्ति पर जवाब हेतु नियत किया गया । 1975 आर.एन. 380 नन्हेलाल विरूद्ध सरदार रामसिंह में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1954 (एस.सी.) 993 में प्रतिपादित न्याय दृष्टांत पर अवलंबित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> ''जब कोई प्रकरण बहस सुनने के पश्चात आदेश देने के लिए रख लिया गया हो तब कार्यवाही में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया जा सकेगा ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः विधि विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है । यदि अनावेदक प्रकरण में अपना हित रखता था, तब उसे प्रकरण में अंतिम तर्क प्रस्तुत होने के पूर्व कार्यवाही करना चाहिए थी, प्रकरण आदेशशार्थ सुरक्षित रखने के पश्चात प्रकरण में किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर कार्यवाही करना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नजूल, बैरागढ़ वृत भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–9–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में आदेश पारित करें ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर